इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 375] भोपाल, बुधवार, दिनांक 15 सितम्बर 2021—भाद्र 24, शक 1943

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2021

क्र. एफ ए 3-07-2021-1-पांच (67).—इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए 3-31-2020-1-पाँच (67), दिनांक 05 दिसम्बर 2020 एवं अधिसूचना क्रमांक एफ-ए 3-07-2021-1-पाँच (26), दिनांक 10 जून 2021 को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, यह अधिसूचित करती है कि जहां उक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन किसी रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर दिया गया है और उक्त अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के रद्द करने का प्रतिसंहरण करने के लिए आवेदन करने की समय-सीमा 1 मार्च, 2020 से 31 अगस्त, 2021 की समयावधि के दौरान आती है, तो ऐसा आवेदन करने की समय-सीमा का 30 सितम्बर, 2021 तक विस्तार किया जाएगा.

2. यह अधिसूचना दिनांक 29 अगस्त, 2021 से प्रवृत्त समझी मानी जाएगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2021

क्र. एफ ए 3-07-2021-1-पांच (67).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-07-2021-1-पांच (67), दिनांक 15 सितम्बर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 15th September 2021

No. F A 3-07-2021-1-V-(67).—In partial modification of this department's notification No. F A 3-31-2020-1-V-(67) dated 05 December 2020 and notification No. F A 3-07-2021-1-V-(26) dated 10 June 2021, in exercise of the powers conferred by Section 168A of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act) the State Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies that where a registration has been cancelled under clause (b) or (c) of sub-section (2) of Section 29 of the said Act and the time limit for making an application of revocation of cancellation of registration under sub-section (1) of Section 30 of the said Act falls during the period from the 1st day of March, 2020 to 31st day of August, 2021, the time limit for making such application shall be extended upto the 30th day of September, 2021.

2. This notification shall come into force from the 29th day of August, 2021.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2021.